

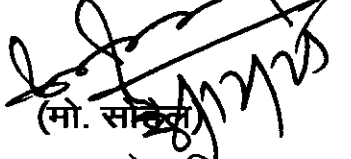
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 03 दिसम्बर, 2025

संख्या : 1/सी0-1029/2025-सा0प्र0-22429/श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0 (2001), आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा (अतिरिक्त प्रभार-आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया) को दिनांक 01.01.2026 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान-स्तर-15-रु.1,82,200-2,24,100/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या : 1/सी0-1029/2025-सा0प्र0-22429/श्री मयंक वरवड़े, भा0प्र0से0 (2001), परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना(अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को दिनांक 01.01.2026 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान-स्तर-15-रु.1,82,200-2,24,100/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(मो. सचिव)
सरकार के सचिव

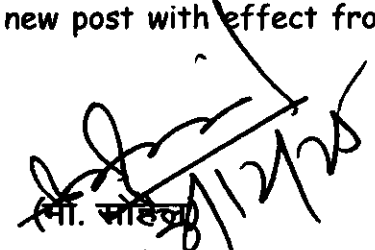
ज्ञापांक : 1/सी0-1029/2025-सा0 प्र0-22429/पटना-15, दिनांक: 03 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन, नई दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ

उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:—

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."


(मी. सोहन)
सरकार के सचिव ।